

**[प्ररूप 23 ख]**  
[नियम 84(1) (ख) देखिए]  
निर्वाचन की विवरणी

विधान सभा के सदस्यों/ उत्तराखण्ड निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

मतदान और मतों के अन्तरण का परिणाम निम्नलिखित है :- निर्वाचित

विधिमान्य मतों की संख्या: लागू नहीं।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या: 01 (एक)

कोटा (अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों की संख्या): लागू नहीं।

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना	द्वितीय गणना	तृतीय गणना	चतुर्थ गणना	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन क्रम
महेन्द्र भट्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	महेन्द्र भट्ट
	हर एक अभ्यर्थी को मिले मत	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	
अंतरणीय कागज-पत्र भिन्नों के कारण हुई हानि जोड़	एक (01) अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित				

मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री महेन्द्र भट्ट, ग्राम-ब्राहमण थाला, पो0- थालाबैण्ड, तहसील-पोखरी, जिला-चमोली, उत्तराखण्ड, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : विधान सभा भवन, देहरादून।  
तारीख: 20 फरवरी, 2024

हस्ताक्षर ..... 20.02.2024



[FORM 23B]

[See rule 84(1)(b)]

Return of Election

Election to the Council of States by Members of Legislative Assembly of Uttarakhand constituency

The result of the poll and of the transfer of votes is as follows:- **Elected**

Number of valid votes: NA

Number of members to be elected: 01 (One)

Quota (number of votes sufficient to secure the election of a candidate): NA

Names of candidates	First Count	Second Count		Third Count		Fourth Count		Name of elected candidates and order of election
		Transfer of	Result	Transfer of	Result	Transfer of	Result	
Mahendra Bhatt	NA		NA		NA		NA	Mahendra Bhatt
	Votes polled by each candidate	Transfer of	Result	Transfer of	Result	Transfer of	Result	
Non-transferable papers	Election was Uncontested due to nomination by only one (01) Candidate.							
Loss due to fractions								
Total								

I declare that –

**Shri Mahendra Bhatt, Village- Brahman thala, P.O. Thalaband, Tehsil-Pokhri, District-Chamoli Uttarakhand, sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected.**

Place: Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun

Date: 20 February, 2024

Signature.....

Returning Officer



प्ररूप 21क

(नियम 11 (1) देखिए)

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2024

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री महेन्द्र भट्ट, ग्राम—ब्राहमण थाला, पो0— थालाबैण्ड, तहसील—पोखरी, जिला—चमोली, उत्तराखण्ड जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं,

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02 अप्रैल, 2024 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : देहरादून।

तारीख: 20 फरवरी, 2024

  
( चन्द्र मोहन गोस्वामी )

संयुक्त सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर  
उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित  
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक  
निर्वाचन के लिए

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(पटल कार्यालय)

संख्या : 1243/वि0स0/214/पटल/2024

देहरादून, दिनांक : 20 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
- 2- सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली,
- 3- महासचिव, राज्य सभा सचिवालय कमरा सं0-33 टेबल आफिस, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून,
- 5- निर्वाचित अभ्यर्थी,
- 6- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करें।
- 7- केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून,
- 8- सहायक निदेशक, समाचार, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी, देहरादून को इस निवेदन के साथ की उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।

  
( चन्द्र मोहन गोस्वामी )

संयुक्त सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर  
उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित  
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक  
निर्वाचन के लिए

**FORM 21A**

[See rule 11(1)]

*(For use in Biennial Election when seat is uncontested)*

**Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53  
of the Representation of the People Act, 1951.**

Biennial- Election to the Council of States by the elected members of  
the Legislative Assembly, Uttarakhand- 2024.

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53  
of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule  
11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**Shri Mahendra Bhatt, village- Brahman Thala, P.O. Thalaband, Tehsil-  
Pokhri, District- Chamoli** sponsored by Bharatiya Janata Party,

Has been duly elected to fill the seat in that House of one member  
retiring on 02<sup>nd</sup> April, 2024 on the expiration of his term of office.

Place: Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun

Date: 20 February, 2024

Signature..... 20.02.2024

**(Chandra Mohan Goswami)**  
Returning Officer for the  
Biennial Election to the Council  
Of States by the elected  
Members of the Uttarakhand  
Legislative Assembly.

